न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–23/2013, 24/2013, 25/2013

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी

बनाम

नगर पालिका केसरीसिंहपुर

..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री एस.एस. भनौत, एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21/4/17

प्रस्तुत रैफरैंसेज तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा पेश किये गये। उक्त तीनों प्रकरणों के तथ्य एक समान है व रैफरैंसधीन आदेश व पक्षकार एक समान हैं अतः तीनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि

अपील संख्या 23/2013

चक 3 यू की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 72 मुरब्बा नम्बर 3 की 2.777 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन जोहड के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। इन्तकाल संख्या 174 दिनांक 27.01.93 द्वारा उक्त भूमि नगर पालिका केसरीसिंहपुर को राज्य सरकार के राजस्व उपनिवेशन विभाग जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ 20(13)राज/उप/90 दिनांक 15.07.92 तथा जिला कलक्टर श्री गंगानगर के आदेश कमांक एफ 12(3)(118) राजस्व/89 द्वारा आवन्टन आदेश पारित किया गया है। जोहड की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी और आवंटन योग्य नहीं थी।

अपील संख्या 24/2013

चक 3 यू की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 73 की 5.009 है. भूमि में से 3.340 है. भूमि हैक्टर भूमि गैर मुमकिन जोहड के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। इन्तकाल संख्या 174 दिनांक 27.01.93 द्वारा उक्त भूमि नगर पालिका केसरीसिंहपुर को राज्य सरकार के राजस्व उपनिवेशन विभाग जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ 20(13)राज/उप/90 दिनांक 15.07.92 तथा जिला कलक्टर श्री गंगानगर के आदेश कमांक एफ 12(3)(118) राजस्व/89 द्वारा आवन्टन आदेश पारित किया गया है। जोहड की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी और आवंटन योग्य नहीं थी।

अपील संख्या 25/2013

चक 3 यू की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 72/1 मु0नं0 5 की 1.012 है. भूमि गैर मुमकिन जोहड के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। इन्तकाल संख्या 174 दिनांक 27.01.93 द्वारा उक्त भूमि नगर पालिका केसरीसिंहपुर को राज्य सरकार के राजस्व उपनिवेशन विभाग जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ 20(13)राज/उप/90 दिनांक 15.07.92 तथा जिला कलक्टर श्री गंगानगर के आदेश कमांक एफ 12(3)(118) राजस्व/89 द्वारा आवन्टन आदेश पारित किया गया है। जोहड की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी और आवंटन योग्य नहीं थी।

तहसीलदार श्री करणपुर का उक्त रैफरैंसेज में कथन है कि किये गये आवंटन कानून सम्मत नहीं है। रकबा जोहड़ पायतन को होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अप्रार्थी को आवंटन योग्य नहीं था। रैफरेन्सकर्ता भूमिधारक है जिसका हित राजकीय कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। अतः वह रैफरेन्स करने का कानूनी अधिकारी है। अतः रैफरेन्स स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मंडल, अजमेर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

को जेर रैफरेन्स आदेश 14.01.1993 गैर कानूनी तथा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया हुआ होने से निरस्त करने का आग्रह किया जावे।

रैफरेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री एस.एस. भनौत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन का अधिकार उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्रीकरणपुर को नहीं था। अतः जैर रैफरेन्स आदेश दिनांक 14.01.1993 विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जावे

इसके विरोध में लायक अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन आदेश के पश्चात् संबंधित प्रकरण का विधिक परीक्षण होता है लेकिन इस संबंध में विधि शाखा द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही अपील की गई है अपील की मियाद निकल चुकी है प्रश्नगत आवंटन नियमानुसार किया गया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

Power to call for record and proceding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को भिजवाई जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे रफरैंस पेश करने हेतु निर्देशित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर